विधि स्नातकों को आर्थिक सहायता

संचालनालय हरिजन विकास

मध्यप्रदेश

क्रमाक/ हरि/वि/विधि/1725/

भोपाल, दिनांक 11/28-8- 82

प्रति,

समस्त जिला संयोजक,
आदिम जाति एवं हरिजन कल्याण
मध्य प्रदेश.

विषय:-- हरिजन विधि स्नातकों को आर्थिक सहायता.

सन्दर्भ:-- संचालयालयीन ज्ञापन क्रमांक/बजट/82-83/न. क्र.-8/1031/27-5-82.

आपका ध्यान सन्दर्भित पत्र की ओर आकर्षिक किया जाता है. आपके जिले में विधि स्नातकों को आर्थिक सहायता देने हेतु पूर्व में आबंटन भेजा गया है.

5. योजनान्तर्गत ऐसे नवीन विधि स्नातकों को रुपये 200 प्रतिमाह की दर से एक वर्ष तक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है. योजना का उद्देश्य नवीन विधि स्नातकों को विधि व्यवसाय में स्थापित होने के लिये प्रोत्साहित करना है. विधि व्यवसाय का कार्य सीखते समय उन्हें आर्थिक कठिनाई न उठाना पड़े. इस हेतु उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है.

निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न हैं:--

1. विधि स्नातकों को आर्थिक सहायता के नियम
2. सहायता हेतु आवेदन-पत्र
3. संचालनालय से राशि आबंटन हेतु प्रपत्र
4. सहायता देते समय अनुबंध पत्र
5. प्रगति पत्रक
6. अन्य पत्रक-दो

कृपया इस योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक प्रयास करें आपके जिले में स्थित वारएसोसियेशन के माध्यम से हरिजन विधि स्नातकों को आवेदन करने हेतु सूचित करें.

आर्थिक सहायता की राशि स्वीकृत करने हेतु जिलाध्यक्ष सक्षम हैं स्वीकृति की एक प्रति इस संचालनालय को अग्रेषित किया करें. कृपया की गई कार्यवाही से संचालनालय को अवगत [illegible] रहे.

सही/-
संयुक्त संचालक,
वास्ते संचालक हरिजन विकास
(म. प्र.) भोपाल.

पृ. क्र./1786 भोपाल दिनांक 11/26-8-82.

प्रतिलिपि:--

समस्त क्षेत्रीय उप संचालक आदिम जाति एवं हरिजन कल्याण म. प्र.

सही/-
संयुक्त संचालक,
वास्ते संचालक हरिजन विकास
मध्यप्रदेश

अनुसूचित जाति विधि स्नातकों को आर्थिक सहायता

नियमावली

उद्देश्य:--इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरिजन विधि स्नातकों को उन्हें विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात वकालत का व्यवसाय अपनाने हेतु विशेष प्रशिक्षण, अप्रेन्टिसशिय के रूप में प्राप्त करने हेतु आदिम जाति एवं हरिजन कल्याण विभाग से आर्थिक सहायता प्रदान की जाना है. इस प्रकार के आर्थिक सहायता से वे अपनी वकालत का व्यवसाय प्रशिक्षण के पश्चात स्थापित कर सकेगें.

इस योजना को निम्नानुसार नियमों के अंतर्गत क्रियान्वित किया जावेगा:--

(1) योजना:-- यह योजना ''हरिजन विधि स्नातकों को आर्थिक सहायता कहलायेगी.''

(2) पात्रता---(अ) मूल निवासी:--इस योजना का लाभ केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी हरिजन उम्मीदवारों को दिया जावेगा.

(ब) शैक्षणिक योग्यता:--किसी भी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से विधि स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण.

(3) आवेदन पत्र:--निर्धारित प्रपत्र में भरकर आवेदन पत्र देना होगा एवं निम्न प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रेषित करना होगें:-

(1) मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र.
(2) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र.
(3) जाति प्रमाण पत्र.

उम्मीदवारों को चयन हेतु जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण के कार्यालय में साक्षात्कार हेतु आवश्यकतानुसार उपस्थित होना होगा.

(4) प्रशिक्षण पद्धति:--इसके अंतर्गत चयनित उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त वरिष्ठ वकील के साथ संलग्न होकर प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा. प्रशिक्षण अवधि में उम्मीदवार अन्य नौकरी/धंधा नहीं कर सकेगा.

(5) आर्थिक सहायता:--चयनित हरिजन उम्मीदवारों को 200/- रुपये प्रतिमाह की दर से निर्वाह भत्ता के रूप में सहायता राशि वितरित होगी. यह राशि संबंधित जिला संयोजक/सहायक कार्यालय द्वारा वितरित की जावेगी. यह राशि भारत शासन द्वारा निर्धारित स्नातकोत्तर छात्रवृति प्रदान करने की आर्थिक मापदण्ड के अनुसार नियमित होगी.

(6) सहायता की अवधि:--सहायता की अवधि एक वर्ष होगी.

(7) विधि व्यवसाय:--

(अ) प्रशिक्षण अवधि के पश्चात (1) प्रत्येक हरिजन लाभान्वित विधि स्नातक वकातल का व्यवसाय स्थापित करेगें. (2) प्रत्येक लाभान्वित उम्मीदवार कम से कम 5 वर्ष तक अपने निर्धारित स्थान पर वकालत का व्यवसाय अनिवार्य रूप से करेगें.

(ब) प्रत्येक हरिजन उम्मीदवार निर्धारित प्रशिक्षण अवधि के पश्चात 5 वर्ष तक विधि व्यवसाय नहीं अपनाता है तो उनसे सहायता की राशि वसूल की जावेगी, इस संबंध में संचालक, हरिजन विकास मध्य प्रदेश के आदेश अंतिम होगें.

(स) यदि उम्मीदवार किसी विशेष परिस्थिति वश अथवा कठिनाई आने पर व्यवसाय बदलता हो, तो ऐसे प्रकरण संचालक, हरिजन विकास द्वारा सहायता दी हुई राशि अंसत: अथवा पूर्णत: वसूल किये जाने संबंधी विचार कर सकेंगे तथा संचालक द्वारा जो निर्माण लिया जावेगा वह अंतिम होगा.

(8) अन्य सुविधा:--पूर्ण प्रशिक्षण के पश्चात लाइब्रेरी अथवा साज-सज्जा हेतु उम्मीदवारों को बैंक से ऋण उपलब्ध करने का प्रयास किया जावेगा एवं इस हेतु उन्हें ऋण इत्यादि के शर्तों के अनुसार प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी जैसे कि बांड भरना, जमानत देना इत्यादि.

(9) अन्य:--प्रशिक्षण अवधि में एवं उसके पश्चात 5 वर्ष तक प्रकरणों का लेखा जोखा इत्यादि प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा रखा जावेगा एवं आवश्यकता होने पर सभी जानकारी संबंधित जिलाध्यक्ष तथा संचालक, हरिजन विकास को उपलब्ध करनी होगी. आवश्यकता होने पर साक्षात्कार तथा आवंटन हेतु जिलाध्यक्ष अथवा संचालक, हरिजन विकास द्वारा समय-समय पर बुलाये जाने पर उपस्थित होना होगा.

उपरोक्त नियमों में समय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकता है.

कलेक्टर,

. . . .(मध्यप्रदेश)

विषय:- - विधि स्नातक को आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र.

(1) पूरा नाम. . . . .

(2) पिता का नाम. . . . .

(3) अनुसूचित जाति का नाम. . . . .

(प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि सहित)

(4) पूरा पता. . . . .

(5) शैक्षणिक योग्यता	श्रेणी	शैक्षणिक वर्ष	संस्था बोर्ड या विश्वविद्यालय
(एक) मैट्रिक			
(दो) हायर सेकेण्डरी			
(तीन) स्नातक			
(चार) विधि स्नातक			

(सत्य प्रतिलिपियां संलग्न की जाये)

(6) सीनियर वकील का नाम जिसके साथ प्रेक्टिस की है. . . . .

(7) पंजीयन क्रमांक. . . . .

(8)

(9) क्या 5 वर्ष तक विधि व्यवसाय करने का अनुबंध करने को तत्पर है. . . . .

(10) जमानतदार का नाम व पता. . . . .
. . . .

भवदीय,

आवेदक के हस्ताक्षर. . . . .

दिनांक. . . . .

वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा की गयी सिफारिश

हस्ताक्षर

प्रपत्र–2

विधि स्नातकों को आर्थिक सहायता

जिला ....

वर्ष ....

क्रमांक	विधि स्नातक का नाम व	हरिजन उपजाति	क्या पूर्व में उन्हें सहायता मिली है		क्या कोई शेष राशि देना है		नवीन	
			कब से कब तक.	राशि	कब से कब तक देना है	राशि	कब से कब तक देना है	राशि

विधि स्नातकों को आर्थिक सहायता की प्रगति

जिला. . . . .

क्रमांक	नाम पूरा पता	हरिजन उपजाति	बकाया व्यवसाय कब से कर रहे है.	सहायता			वर्तमान में वकालत व्यवसाय कर रहे हैं अथवा नहीं यदि नहीं तो कब से.
				क्रमांक से	दिनांक तक	राशि	

प्रपत्र-4

नवीन विधि स्नातकों को आर्थिक सहायता

(1) नाम व पता

(2) हरिजन उपजाति

(3) स्थान

(4) योग्यता

क्रमांक	नाम परीक्षा	वर्ष	श्रेणी	अन्य विवरण

(5) वरिष्ठ वकील का नाम व पता जिसके
अंतर्गत अप्रेन्टिससिप करना है.

(6) क्या पूर्व में आर्थिक सहायता मिली हो
तो विवरण दें.

(7) आर्थिक सहायता कब से कब तक दी गई

(8) आर्थिक सहायता का राशि

(9) यदि बैंक ऋण की आवश्यकता हो तो पुस्तकें,
साज सज्जा की सूची मूल्य सहित

(10) यदि जिला संयोजक द्वारा ऋण प्रकरण
बनवाकर भिजवाया गया हो तो बैंक
का स्थान व ऋण की राशि विवरण

(11) रिमार्कस

जिला संयोजक

आदिम जाति एवं हरिजन

प्रपत्र-5

विभागीय योजना अंतर्गत लाभान्वित विधि स्नातकों की प्रगति के अध्ययन हेतु जानकारी (वर्ष की समाप्ति पर भेजना है)

(1) नाम व वर्तमान पता. . . . .

(2) हरिजन उपजाति. . . . .

(3) जन्म तिथि. . . . .

(4) योग्यता. . . . .

क्रमांक	परीक्षा	वर्ष	श्रेणी	अन्य विवरण

(5) विभागीय आर्थिक सहायता की अवधि

क्रमांक	अवधि	दर	राशि	अन्य कोई सहायता क्या बैंक से ऋण प्राप्त किया है तो कितना
	माह से वर्ष	तक		

(6) सहायता अवधि में वकील की प्रशिक्षण एप्रिन्टिसिप व्यवस्था

क्रमांक	स्थान	जहां कि अवधि	वरिष्ठ वकील का नाम व पता जिनके अंतर्गत प्रशिक्षण लिया	अन्य विवरण

(7) वर्तमान में आर्थिक स्थिति:--

(8) क्या साज सज्जा हेतु बैंक ऋण हेतु आवेदन किया:--

क्रमांक	स्थान	आवेदन की तिथि	राशि	बैंक शाखा का पता	क्या ऋण स्वीकृत हुआ	अन्य विवरण

(9) वर्तमान प्रेक्टिस की स्थिति

क्रमांक	स्थान	कार्य का प्रकार	प्रकरणों की संख्या	औसत मासिक आय	अन्य विवरण

जिला संयोजक

आदिमजाति एवं हरिजन कल्याण

विधि स्नातकों हेतु अनुबन्ध-पत्र

यह अनुबंध आज दिनांक. . . . . .मास. . . . . .सन. . . . . .को प्रथम कक्ष मध्यप्रदेश के राज्यपाल जो. . . . . .के मार्फ्त कार्य कर रहे हैं जिन्हें इसमे इसके पश्चात राज्यपाल कहा गया है, अभिव्यक्ति में जहां कि संदर्भ से वैसा अनुमत हो उनके उत्तराधिकारी सम्मिलित होगें तथा द्वितीय पक्ष श्री. . . . . .आत्मज. . . . . आयु. . . . . .वर्ष. . . . . . . .जाति. . . . . .व्यवसाय. . . . . .निवासी तहसील . . . . .जिला. . . . . (मध्यप्रदेश) जिन्हें इसमें इसके पश्चात अनुगंधकर्त्ता कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में जहां कि संदर्भ से वैसा अनुकत हो उनके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और समनुदेशिती सम्मिलित होगें के मध्य किया जाता है).

चूंकि अनुबंधकर्ता की शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित है:--

और चूंकि अनुबंधकर्ता द्वारा विधि स्नातक की परीक्षा वर्ष. . . . . .में. . . . . .विद्यालय. . . . . से. . . . . श्रेणी में उत्तीर्ण की है, जिसका क्रमांक. . . . . व दिनांक. . . . . .है और चूंकि अनुबंधकर्ता जिला तहसील. . . . . .का विल में दिनांक. . . . . .से विधिवत सदस्य बन गया है. और चूंकि अनुबंधकर्ता श्री. . . . . वरिष्ठ अधिवक्ता के निर्देशन में अधिवक्ता व्यवसाय का प्रशिक्षण दिनांक. . . . . से प्राप्त कर रहा है और इन वरिष्ठ अधिवक्ता महोदय का मध्यप्रदेश वार कौंसिल में पंजीयन क्रमांक. . . . . .व दिनांक. . . . . है और चूंकि अनुबंधकर्ता को अधिवक्ता व्यवसाय की सुचारू रूप से चलाने के लिये राज्यपाल द्वारा 200/- (दो सौ रुपये) माहवार एक वर्ष की अवधि के लिये प्रदान किया गया है.

अतएवं यह करार निम्नलिखित वातों का साक्षी है तथा एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में करार किया जाता है.

1. राज्यपाल अनुबंधकर्ता को अधिवक्ता व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिये रुपये 200 (दो सौ रुपये) केवल प्रति माह की दर से दिनांक. . . . . .से दिनांक. . . . . .तक शिष्यावृत्ति के रूप में एक वर्ष तक देगें.

2. अनुबंधकर्ता तदुसंबंधी शिष्यवृत्ति की अंतिम किश्त पाने की पात्रता के दिनांक से लेकर लगभग 5 वर्ष तक अपने अधिवक्ता को नहीं छोडेगा. यदि अनुबंधकर्ता ने उक्त व्यवसाय को छोड़ा तो राज्यपाल अनुबंधकर्ता से सम्पूर्ण अनुदानित राशि एक मुश्त में भू-राजस्व बकाया की भांति वसूल करने के लिये सक्षम होगें.

3 अनुबंध की किसी शर्त के उल्लघंन की स्थिति में अथवा अनुबंध के किसी उपवंध में विवाद उत्पन्न हो तो ऐसी स्थिति में संचालक, हरिजन विकास कल्याण, म. प्र. का निर्णय अंतिम होगा.

4. इस अनुबंध पत्र पर देय स्टाम्प शुल्क का भुगतान राज्यपाल द्वारा किया जायेगा.

इसके साक्ष्य स्वरूप इसमें संबंधी पक्षों ने अपने-अपने हस्ताक्षरों के सामने लिखी तारीख और वर्ष को इस विलेख पर अपने हस्ताक्षर किये हैं.

(1)

(2)

(3)

(4)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के लिये उनकी ओर से अनुबंधकर्ता